

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 18/6/26

विषय:- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 62,94,676/- (बासठ लाख चौरानवे हजार छः सौ छिहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 62,94,676/- (बासठ लाख चौरानवे हजार छः सौ छिहत्तर रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी	31354	राज्य स्कीम जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, सीतामढ़ी का मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य	42/ 06.09.25	₹ 20,38,235/- (बीस लाख अड़तीस हजार दो सौ पैंतीस रुपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ	32190	Renovation to E/I of Jannayak Karpuri Thakur OBC Hostel (Ground floor) at Araria, Distt-Araria.	88/ 06.10.25	₹ 14,79,690/- (चौदह लाख उन्नासी हजार छः सौ नब्बे रुपये)
3.	विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ	32186	Renovation to E/I of Jannayak Karpuri Thakur O.B.C Hostel (First Floor) at Araria, Distt-Araria.	88/ 06.10.25	₹ 14,07,436/- (चौदह लाख सात हजार चार सौ छत्तीस रुपये)
4.	विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ	32189	Provision to E/I of Campus light in Jannayak Karpuri Thakur OBC Hostel Araria, Distt-Araria.	88/ 06.10.25	₹ 13,69,315/- (तेरह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पन्द्रह रुपये)
					₹ 62,94,676/-

(बासठ लाख चौरानवे हजार छः सौ छिहत्तर रुपये)



2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0101-पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र कोड-03-2059800530101 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0101.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 5603 (अ)

पटना, दिनांक:- 18/6/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 5603 (अ)

पटना, दिनांक:- 18/6/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सी.एफ.एम.एस. एप्रवर, भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।